मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 05-03-2016 को 04:00 बजे पूर्वाह्न में समाहरणालय, सभा कक्ष, मधेपुरा में दिनांक- 22 मार्च, 2016 को "बिहार दिवस" सफलतापूर्वक मनाने हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही-

....

01. उपस्थिति- पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। दिनांक 22 मार्च, 2016 को "बिहार दिवस" सफलतापूर्वक मनाने हेतु पूर्व की बैठक की कार्यवाही की प्रति पढ़कर सुनाई गई एवं निर्धारित कार्यक्रम पर अपना- अपना अभिमत देने हेतु सदस्यों से आग्रह किया गया। उपस्थित सदस्यों को यह भी बताया गया कि 2012 में बिहार का 100 वाँ वर्षगांठ मनाया गया था, इस कारण तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कराने का सरकार का निदेश प्राप्त हुआ था। इस वर्ष एक दिन का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

02 (क) सर्वप्रथम दिनांक 22 मार्च, 2016 को जिलान्तर्गत सभी प्राथमिक /माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाय, जिसमें बिहार के गौरव को बढ़ाने वाले नारे लगाये जाएँगे। इसमें शहीदों की स्मृतियों, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शो, बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों एवं उसकी उपलब्धियों तथा आधुनिक बिहार के विकास का गौरव गान किया जायेगा।

(अनुपालन- जिला शिक्षा पदाधिकारी,मधेपुरा।)

(ख) तदोपरांत शहर / गाँव में सभी पदाधिकारी/आम नागरिक श्रमदान से अपने- अपने क्षेत्र में सड़कों की सफाई अभियान झाड़ू लगाकर किया जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा के सहयोग से बृक्षारोपन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत् जिले के शौचालय के निर्माण के सम्बंध में बताया गया कि शौचालय निर्माण हेतु बैंक से करार किया जा रहा है। इसके तहत् सार्वजनिक क्षेत्र में सामूहिक शौचालय भी बनवाये जाने की योजना है। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने मधेपुरा शहर के बस पड़ाव एवं पुरानी कचहरी में सार्वजनिक शौचालय बनवाया जाय।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता,लोक स्वास्थ्य प्रमंडल,मधेपुरा/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी,नगर परिषद,मधेपुरा एवं नगर पंचायत,मुरलीगंज/ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी,मधेपुरा।)

(ग) सायंकाल में सभी प्रखंडों/अंचलों में किसी सार्वजनिक स्थल पर 104 दीप जलाकर लोक संगीत यथा- फगुआ, चैता, विद्यापति के गीत आदि का आयोजन किया जाएगा।संगीत,नाटक/नुक्कड़ नाटक आदि का भी आयोजन कर सकते है। नाटक/नुक्कड़ का विषय वस्तु भ्रष्टाचार,बाल विवाह एवं मद्य निषेध,जाति प्रथा का उन्मूलन एवं साम्प्रदायिक सौहार्द्र, विभाजन पूर्व बिहार का परिदृश्य एवं विभाजन पश्चात् बिहार की विरासत जैसे विषय होगें। इसके लिए आमजन को भी जानकारी दी जाय कि वे अपने अपने भवन पर 104 दीपों की श्रृंखला प्रज्वलित कर बिहार की गौरव को गौरवांवित कर सकते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में बिजली लगवाने एवं बिहार दिवस के अवसर पर ब्लू रंग का झालर लगाने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया। कला भवन, मधेपुरा में रोशनी एवं बी0एन0मंडल स्टेडियम,मधेपुरा में खराब पंखे की मरम्मति कराने का निदेश जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को दिया गया।

(अनुपालन- जिला नजारत उप समाहर्त्ता / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचल अधिकारी)

(घ) सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त गाँव के सभी व्यस्कों की सभा ''चौपाल'' का आयोजन किया जाय, जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर परिचर्चा की जाएगी।

(1) गाँव की समस्या एवं उसके समाधान के संबंध में सुझाव।

(2) गाँव की कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, श्रमदान आदि क्षेत्रों से संबंधित ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि जिसे अभी तक व्यापक प्रचार-प्रसार या सामाजिक प्रशासनिक मान्यता प्राप्त नहीं है।

(3) गाँव की ऐतिहासिक एवं पौराणिक धरोहर जिसका प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी)

(ड.) बिहार दिवस के अवसर पर प्रखंड स्तर से जिला स्तर पर विकास मेला का आयोजन, कृषि मेला का आयोजन, मेगा चिकित्सा शिवि का आयोजन, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, विद्यालयों में वाद–विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, हस्तशिल्प प्रदर्शनी आदि लगाए जा सकते हैं।

आयोजन का उद्देश्य राज्य के लोगों को बिहार के गौरवपूर्ण अतीत, अपनी विविध संस्कृति, खेलकूद, ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों एवं बिहार की स्थिति से अवगत कराना है। इस आयोजन में हर बिहारवासी एवं प्रबुद्ध नागरिकों से सहयोग अपेक्षित है।

उक्त निर्णय के आलोक में सर्वसम्मति से जिलास्तर पर निम्नांकित कार्यक्रमों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया–

03. प्रभात फेरी –

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 22 मार्च, 2016 को बिहार उत्सव के अवसर पर जिलान्तर्गत सभी प्राथमिक /माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी किया जाय। बिहार के मानचित्र एवं लोगो, नारे आदि का बैनर, पोस्टर के साथ प्रभात फेरी प्रातः 06:00 बजे बी0एन0मंडल स्टेडियम के मुख्य द्वार से प्रारंभ करते हुए बस स्टैंड होते हुए बी0पी0 मंडल चौक (कॉलेज चौक) तक जाएगी। पुनः बी0पी0 मंडल चौक से मुख्य सड़क मार्ग से बाजार होते हुए पूर्णियाँ गोला तक जाएगी। पूर्णियाँ गोला के सामने जयपालपट्टी होते हुए बी0एन0मंडल स्टेडियम के मुख्य द्वार पर आकर समाप्त की जाएेगी। प्रभात फेरी के आयोजन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को प्राधिकृत किया गया है। उन्हें कहा गया कि सरकारी विद्यालय के बच्चों के साथ–साथ निजी स्कूल के बच्चों को भी प्रभात फेरी में शामिल किया जाय। अत्यधिक छोटे–छोटे बच्चों को प्रभात फेरी में नहीं बुलाया जाय। प्रभात फेरी के समय यतायात नियंत्रण हेतु अंचलाधिकारी, मधेपुरा तथा थानाध्यक्ष, मधेपुरा को आदेश दिया गया कि प्रभात फेरी के अवधि में स्वयं गश्ती करेंगे तथा भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगायेंगे। सिविल सर्जन, मधेपुरा को एक एम्बुलेंस वाहन गश्ती हेतु प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा प्रभात फेरी कार्यक्रम का स्वयं पर्यवेक्षण करेंगे।

प्रखंड स्तर पर भी प्रभात फेरी प्रातः 06:00 बजे प्रखंड कार्यालय परिसर से प्रखंड के प्रमुख स्थल तक निकाली जाएगी। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड स्तर पर प्रभात फेरी के आयोजन हेतु उत्तरदायी होंगे।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/सिविल सर्जन/अंचल अधिकारी,मधेपुरा/थानाध्यक्ष,मधेपुरा/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी)

<u>04. कृषि -सह- विकास मेला -</u>

राज्य सरकार के निर्णयानुसार जिला स्तर पर विकास मेला का आयोजन किया जाना है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी0एन0मंडल स्टेडियम, मधेपुरा में त्रिदिवसीय विकास मेला का भव्य आयोजन दिनांक 22-03-2016 को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 24-03-2016 तक किया जाय। इस निमित्त कृषि विभाग, जीविका के स्वयं सहायता समूह, मनरेगा, अपना- अपना स्टॉल लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास परियोजना, नारियल विकास बोर्ड, पी0एच0ई0डी0, कल्याण विभाग / उद्योग विभाग / जनसम्पर्क विभाग /शिक्षा विभाग /पशुपालन विभाग /आपदा प्रबंधन / बैंक आदि भी भाग ले सकते हैं। इस मेला को भव्य एवं आकर्षक बनाने हेतु स्टेडियम के दक्षिणी छोर पर एक कतार में 10 फीट X 10 फीट आकार का स्टॉल लगाया जाएगा। प्रत्येक विभाग को आवश्यकतानुसार स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार स्टॉल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उपर्युक्त विभाग सभी अपने अपने स्टॉल की संख्याँ जिला नजारत उप समाहर्त्ता,मधेपुरा को बताएंगें। जिला नजारत उप समाहर्त्ता,मधेपुरा स्टॉल बनवाना सुनिश्चित करेगें तथा व्यय भार वहन सम्बंधित विभाग/कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

विकास मेला के वरीय प्रभारी उप विकास आयुक्त, मधेपुरा तथा प्रभारी पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा होंगे। सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे जिला नाजरत उप समाहर्त्ता,मधेपुरा से सम्पर्क स्थापित कर बनाई गई स्टॉल आवंटन अपने नाम करवा लेंगे एवं उक्त स्टॉल में अपने स्तर से कर्मी को प्रतिनियुक्त करगें। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा सबों के साथ समन्वय स्थापित कर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। स्टॉल का कार्य सभी विभाग अपने अपने स्तर से करेगें।